

members, 24 from this House, namely:—
Shri S. V. Krishnamoorthy Rao, Shri Bhagwat Jha Azad, Shri N. C. Chatterjee, Shri Homi F. Daji, Shri N. Dandekar, Shri Shree Narayan Das, Shri A. K. Gopalan, Shri Hari Vishnu Kamath, H. H. Maharaja Karni Singhji of Bikaner, Shri Madhu Limaye, Shri Ghanashyamal Oza, Shri Vishwa Nath Paudey, Shri C. R. Pattabhi Raman, Chowdhary Ram Sewak, Shri Shivram Rango Rane, Shri H. C. Linga Reddy, Shrimati Yashoda Reddy, Shri Sham Lal Saraf, Shri Era Seshian, Shri T. H. Sonavane, Shri U. M. Trivedi, Shri Tula Ram, Shri Amar Nath Vidyalkar and Shri Radhelal Vyas and 12 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 12 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion of adopted.

14.24 hrs.

RAILWAY PROPERTY (UNLAWFUL POSSESSION) BILL

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ़ ऑर्डर है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्वाइंट ऑफ़ ऑर्डर है ।

श्री किशन पटनायक : आपने जो पाटिल साहब को बुलाया है, उस के बारे में है ।

Mr. Deputy-Speaker: I will hear him afterwards. sit down.

1635 (A) LSD-4.

The Minister of Railways (Shri S. K. Patil): I beg to move:

'That the Bill to consolidate and amend the law relating to unlawful possession of railway property, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the proposed Bill which I am moving for consideration is a non-controversial measure consisting of two main points. The definition of property and the power to the RP to investigate and enquire into the cases which power they do not possess just now. The proposed Bill is being sponsored in replacement of the existing Railway Stores (Unlawful Possession) Act, 1955, providing for the proper investigation and prosecution of cases relating to railway property including goods in transit and also to provide for deterrent punishment being awarded to offenders connected therewith. The word "property" hitherto was defined as the property which belongs to the railway. But the property did not include the property that is in charge of the railways and for which we have got to pay in case it is lost. Even though the unlawful possession of the railway stores is an offence under the railway Stores (Unlawful Possession) Act, 1955, the Act does not regulate the manner or procedure of investigation, enquiry, etc., into the offences. The offences under the Railway Stores (Unlawful possession) Act, 1955 are therefore enquired into in regard to the provisions of the Criminal Procedure Code, by the police of the land. In the proposed Bill, the procedure for investigation and enquiry, etc., into the offences relating to the railway property is being provided. That is also a change.

The need for introducing the Bill has arisen because of the fact that the claims bill which was 29 million in 1953-54 rose to 42 million in 1962-63, which was an enormous increase. Apart from this, the amendment of the Indian Railways Act, 1961, has cast a greater responsibility on the railways in respect of carriage of goods and animals. Now the railways are responsible for claims for losses, destruction, damages, deterioration and for undelivered goods tendered for despatch, unless it is proved that such losses etc., are due to an act of God. On account of these reasons, it has become imperative for the Government to

[Shri S. K. Patil]

take effective steps to prevent such losses to the railways.

Hitherto, the work was carried on under the Criminal Procedure Code by the police of the State. They have got plenty of other functions and naturally this became their secondary affair and therefore, the responsibility now is squarely taken by the railways themselves. Due to the Government Railway Police being fully occupied with the problems of law and order and other crimes including heinous crimes which would necessarily claim their first attention, they in fact do not have enough time at their disposal to pay as much attention as is required to cases relating to offences against railway property.

Then again, there is another difficulty. The railways are spread over a large part of the country and the property, etc., that are entrusted with them are carried from one part to another; it almost becomes an all-India jurisdiction. Therefore, as the jurisdiction of the State police is restricted to its own State boundaries, it becomes often difficult for the police to make a thorough and fruitful investigation into such offences. Besides, the investigation of cases in respect of railway property requires a special knowledge of railway working which the GRP is not expected to possess. GRP is the Government Railway Police which looks after these things. It is an admitted fact that during the course of the investigation, information of valuable importance is elicited from the criminals in respect of the *modus operandi* and the whereabouts of their associates. It would, therefore, follow that prevention, detection, investigation and prosecution of offences relating to railway property are interdependent functions which cannot be isolated from each other. Therefore, the power of investigation and enquiry must rest with the Railway Protection Force. It is, therefore, proposed to replace the Railway Stores (Unlawful Possession) Act, 1955 by a more comprehensive Act which is the present one, so as to bring within its ambit the unlawful possession of goods entrusted to the railways for transit and to make the punishment for such offences more deterrent. It is also, at the same time, proposed to invest the power of investigation of offences

relating to Railway Property in the Railway Protection Force.

Sir, I move:

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to unlawful possession of railway property, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री किशन पटनायक : जब आप ने श्री पाटिल को बुलाया था तब मैंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था क्योंकि श्री पाटिल, जो आज रेलवे मंत्री हैं, सन् 1962 में खाद्य मंत्री थे। कल जब आप चेन्नै पर थे तब डा० लोहिया ने एक चिट्ठी टेबल पर रखी थी। जब श्रीमती चन्द्र प्यारेलाल जहाज कम्पनी (व्यवधान) जब श्री पाटिल पर यह इल्जाम लगाया गया था

Mr. Deputy-Speaker: What is the point of order?

Shri Raghunah Singh (Varanasi): That concerns shipping.

श्री किशन पटनायक : क्या आप आज कल रूल को मांगते हैं। हमारे लिये रूल नहीं बन सकता है। जब कांग्रेसी सदस्य प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं तब आप रूल कहां मांगते हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Do not go to other things; what is the point of order? What is the rule that has been infringed?

श्री किशन पटनायक : कास्टिट्यूशन की ब्रीच हुई है।

Mr. Deputy-Speaker: Tell me what is the rule that has been infringed. Otherwise, I do not allow the point of order.

श्री किशन पटनायक : पार्लियामेन्टरी स्टैंडर्ड की ब्रीच हुई है। उन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने मामले को सप्रेस किया है।

Mr. Deputy-Speaker: There is no point of order. Please sit down. Now, the time allowed for this Bill is one hour. Hon. Members will be brief in their remarks.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have heard the speech of the hon. Minister of Railways and it appears according to him, and it looks as if it is an innocuous Bill. It is not so. The provisions of this Bill will reveal that this is not such a simple Bill. If railway property is stolen or taken away by any unauthorised persons, they are to be punished. Everybody feels that there is so much theft and pilferage taking place in the railways. It must be prevented with a strong hand. That is accepted. But this Bill empowers the RPF with the powers of the police—not only ordinary powers of apprehension, but even of prosecution. I am against such sweeping powers being given to any force other than the police. Suppose a theft takes place in a State. The first duty of the RPF is to prevent thefts. But if a theft takes place, the RPF must find out the culprit and hand him over to the police. The RPF itself should not prosecute. Otherwise, in a State there will be more than one police force acting. Clause 2(1) says:

“‘member of the Force’ means a person appointed to the Force, other than a superior officer”.

That means even the Rakshaks will have the right to apprehend and even arrest without warrant any person who is suspected to be in possession of railway property. Any RPF man can enter into a train, catch hold of a passenger and say “You have taken railway property. You are under arrest”. He can be straightway arrested, put in a lock-up, without even a reference to a magistrate and prosecuted without resort to the man being produced before a police officer.

Shri Tyagi (Dhar Dum): Suppose a person tries to set fire to the bogey and is caught red-handed. Should he not be arrested straightway by the RPF?

Shri Nambiar: He should be handed over to the police. There can be only one police force in a State. Can you have two? Today you are giving this power to the RPF. Tomorrow, if P&T come forward and say that they have got their properties throughout India and they must also have a protection force which must have the same powers as the police, then there will

be three police forces. An industrialist may say he wants his property to be protected and he wants a force with the powers of police. This is ridiculous. This power can never be taken away from the police and handed over to the so-called RPF. The RPF has got a very good job to do, which we appreciate. They must prevent theft and pilferage. But as soon as they apprehend any offender, they must catch hold of the person and allow the law of the land to prevail.

Mr. Deputy-Speaker: His time is up. He should conclude. Only 1 hour has been allotted to this.

Shri Nambiar: This is a very serious matter; we cannot be hustled like this.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Under rule 292, I move that the time for this Bill be extended to two hours.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I support Mr. Kamath.

Mr. Deputy-Speaker: All right; the time allotted is increased by one hour.

श्री श्रीकारलाल बेरवा (काटा) :
रेलवे का माल इतना चोरी होता है कि उस को देखते हुए इसका वक्त जरूर बढ़ाया जाना चाहिये ।

Shri Nambiar: Clause 6 says:

“Any superior officer or member of the Force may, without an order from a Magistrate and without a warrant, arrest any person who has been concerned in an offence punishable under this Act or against whom a reasonable suspicion exists of his having been so concerned.”

We are giving powers to the RPF to arrest people without warrant, without even reference to a magistrate. Mere suspicion is enough. If they misuse such vast powers, what is the guarantee against it?

The Minister argued that the railways are spread all over the country and if a theft takes place in one State, we will not be able to get the assistance of the police in another State, and so the culprit cannot be apprehended. That is no argument. Suppose a murder takes place in one State

[Shri Nambiar]

and the murderer goes to another State. Is the law of the land not sufficient to apprehend that man? Similarly the railways also can do it. This short-cut method of giving powers to the RPF, asking them to go all over the country and find out the culprit is not proper. To oppose this method of giving each and every member of the RPF the powers of the police. This is very dangerous not only to the railway passengers, but to the railway workers also.

Let me give an example. Suppose a railway worker doing work on the railway line, after finishing his day's work, takes his tools home. Anybody inimical to him can bring an RPF man and say, "This is a theft". The poor worker can be apprehended, arrested and put in jail. This is most dangerous. Such vast powers should not be given to any one. It should be confined to the police force of the State. I, therefore, strongly object to handing over this power to the RPF to this extent. It is against natural justice and against the established legal procedure in the country, and it has to be opposed tooth and nail.

श्री रघुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का हादिक स्वागत करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि श्री नम्बियार ने जो कुछ कहा है वह तथ्य से बहुत परे है। इस लिये परे है कि जो लोग पैसेन्जर ट्रेन से सफर करते हैं और जिन लोगों को रेलवे का थाड़ा सा ज्ञान है वह कम से कम यह जानते हैं कि चार चीजों की चोरी रेलों में से ज्यादा होती है। एक तो कोयले की चोरी। ट्रेन चली जा रही है कोयले के बगन में एक आदमी बैठ जाता है और कोयला निकाल कर फेंकना शुरू कर देता है। फिर एक आदमी पीछे से आता है और सारा कोयला बटोरता हुआ चला जाता है। फिर दूसरी चोरी होती है शीशों की। आप देखते होंगे कि वाय रुमस में जो शीशे लगे होते हैं उन को लोग उठा ले जाते हैं। तीसरी चोरी जो होती है, और जिस से बनारस की इंडस्ट्री बहुत चलती है, वह तांबे का

तार है। चूँकि तांबे का इम्पोर्ट आज कल बन्द है और ब्रास का भी इम्पोर्ट बन्द है, लिहाजा इन दिनों डाकखानों के टेलिग्राफ वायर और रेलवे के टेलिग्राफ वायर की चोरी बहुत ज्यादा होती है।

एक आदमी खम्भे के ऊपर चला जाता है, तार काट देता है और दूसरा आदमी तार को बटोरता है और उसको ले जा करके बेच देता है . . .

श्री त्यागी : यह बनारस में होता है।

श्री रघुनाथ सिंह : सभी जगह होता है।

हमारे भाई नम्बियार साहब ने इस बिल का विरोध किया है और कहा है कि एक रक्षक को अधिकार नहीं होना चाहिये। अगर आप पीनल कोड को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह कागनिजेबल आफेंस है और जब यह कागनिजेबल आफेंस है तो किसी भी आदमी को एरेस्ट करने का अधिकार उनको मिल जाता है। एक आदमी तार काट रहा है चोरी में, तब आप उस वक्त उससे कैसे यह आशा कर सकते हैं कि थाने में जा कर उसकी एरेस्ट के वारेट ला कर उस आदमी को एरेस्ट करेंगे। यह बड़ी इम्प्रेक्टिकेवल चीज है, बिल्कुल असम्भव चीज है। यह नहीं हो सकता है। अगर एक आदमी बगन से कोयला बाहर फेंक रहा है तो आप यह आशा करें कि उस आदमी का जब आप नाम नहीं जानते हैं आपका उससे परिचय नहीं है, उसकी एरेस्ट के वारेट लाये जायें

Shri Nambiar: Take him to the police station.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं उस पर आ रहा हूँ। इसलिए उस आदमी को स्पार्ट के ऊपर जहाँ कि चोरी होती है गिरफ्तार करना निहायत आवश्यक है। जो रक्षक को अधिकार दिया गया है यह बहुत ही आवश्यक अधिकार है। अगर आप उसको यह अधिकार नहीं देंगे तो रेलवे की चोरी आप नहीं रोक सकेंगे।

आप ख्याल करें कि एक बड़ी भारी माल गाड़ी चली जा रही है और दो एक रक्षक उसके साथ जा रहे हैं तो उन से आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वे उन चोरों को घेर कर पकड़ लें। इंडियन पीनल कोड में कारगनिजबल ऑफिस की व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा राइट आपको पुलिस को देना होगा और तभी ये चोरियाँ रुक सकती हैं, नहीं तो नहीं रुक सकती हैं।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ खास तौर से इसलिए कि रक्षक को इस में प्राप्ति अधिकार दिया है। जो मैं आन दी स्पार्ट रहता है उसको जब तक इसके बारे में अधिकार नहीं होगा तब तक आप चोरियों को बन्द नहीं कर सकते हैं।

श्री त्यागो : मिनिस्टर साहब से मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहता हूँ कि यह कम्प्रिहेंसिव बिल नहीं है। इससे चोरियाँ ही कहीं कहीं पर पकड़ी जायें तो वही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। आज की हालत को आप देखें। मान लीजिये कि पांच सौ या हजार आदमी आ कर स्टेशन को जला रहे हैं, या वहाँ सामान को लूट रहे हैं तो इस बिल के जरिये उन को कोई पकड़ धकड़ नहीं हो सकती है, उन पर कोई जुर्म आयद नहीं हो सकता है। एक आध आदमी ने चोरी कर ली, कोयला चुरा लिया और आपने कह दिया कि उसको पकड़ लो। लेकिन पांच सौ या हजार आदमी आ कर स्टेशन को जला रहे हैं, खुले तौर से लूट रहे हैं उन में से किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जहाँ आप चोरियों से रेलवे प्रापर्टी को बचाने का इंतजाम करते हैं वहाँ आप कुछ डकैतियों से बचाने का भी इंतजाम करें। उसके ऊपर भी कानूनी रोक लगायें? क्या यह समझा जाए कि डकैतों डालना कोई जुर्म नहीं, उसकी खुला छूट है, उसका पूरा आजादी है, सिर्फ चोरी करना ही जुर्म है?

मेरी राय यह है कि जो लोग खुले तरीके से जलूस बना कर आयें और स्टेशन को जलाते हुए पकड़े जायें उनके लिए इस किस्म का कानून बनना चाहिये कि अकेला जलाने वाला ही नहीं बल्कि जो जो आदमी जलूस में शरीक था वह भी मुजरिम माना जाये, जितने लोग उस में शरीक थे, सब के सब मुजरिम करार दिये जायें। एक एक आदमी जो जलूस का था उसको सजा होनी चाहिये। अगर जलूस में से किसी आदमी ने यह हरकत की है तो जलूस में जो जो लोग थे उनको सजा होनी चाहिये। जब तक आप इस तरह का कानून नहीं लायेंगे तब तक इस तरह के कानून से आपको कुछ ज्यादा सहारा नहीं मिलेगा। वैसे मैं इस बिल की तार्ईद करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बड़े।

श्री ऑकार लाल बेरवा : छोटों को भी मौका दें।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रेलवे प्रापर्टी (अनलाफुल पोजेशन) बिल है इसका मैं विरोध करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस बिल को पास करने का कारण केवल यही है कि जो चोरियाँ होती हैं वे रुकें। चोरियाँ बहुत होती हैं, यह बात सही है। कभी वहाँ बल्बज निकाल लिये जाते हैं, कभी पंखे निकाल लिये जाते हैं और कभी आइनें निकाल लिये जाते हैं। ये सब चोरियाँ होता हैं। लेकिन चूंकि चोरियाँ होती हैं इस प्रकार का इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार का बिल पास कर दिया जाए। रेलवे प्राइवेट कर्माशियल कंसर्न है। वह अपने लिए एक अलग से पुलिस फोर्स रखे यह मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ईस्ट इंडिया कम्पनी जब हिन्दुस्तान में आई तब उसने डबल गवर्नमेंट फार्म का था। उसने अपने सिपाही रख लिये थे। क्या आप भा इस प्रकार की डबल गवर्नमेंट फार्म करना चाहते हैं। आज आप देखें क हर स्टेट का अपनी पुलिस है और उसके साथ साथ रेलवे पुलिस भी होती है। रेलवे पुलिस को है यह

[श्री वड़े]

स्टेशनों पर रहती है और यह रेलवे पुलिस बराबर जो वहाँ आफेंस होते हैं उनको चैक करती रहती है। मध्य प्रदेश की पुलिस का सब-इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस में रहता है और उसको रेलवे सब-इंस्पेक्टर कहा जाता है। दे आर टेकन फ्राम दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। उसके साथ साथ पुलिस फोर्स भी वहाँ रहती है। पुलिस थाना भी स्टेशनों में रहता है। रतलाम में वह है, इंदौर में वह है। इस सब के बावजूद रेलवे पुलिस रखने का क्या कारण है? इस प्रकार से डबल गवर्नमेंट करना ठीक नहीं है। जो चोरियां होती हैं उनको जहाँ तक पकड़ने का सम्बन्ध है, कोई भी उनको पकड़ सकता है। जैसे मेरे यहाँ अगर चोरी होती है तो मैं चोर को पकड़ सकता हूँ और पुलिस स्टेशन में उस को ले जा सकता हूँ। आपके यहाँ चोरी हो गई तो जो चोर होगा उसको पकड़ कर पुलिस थाने में ले जाया जाना चाहिये। लेकिन जो पावर्ज सब-इंस्पेक्टरों को दी गई हैं, वे समझ में नहीं आती हैं। इस में लिखा हुआ है :

"Any superior officer or member of the Force may, without an order from a Magistrate and without a warrant, arrest any person who has been concerned in an offence punishable under this Act or against whom a reasonable suspicion exists of his having been so concerned."

उसके बाद इनवैस्टीगेशन की भी पावर्ज उनको दी गई हैं। उस इनवैस्टीगेशन में कम से कम जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और जो इतने सालों से हिन्दुस्तान में चला आ रहा है, उसकी व्यवस्थाओं का पालन तो आपको करना चाहिये। जिस ने इस बिल को ड्राफ्ट किया है, मैं समझता हूँ बड़ी ही होशियारी से ड्राफ्ट किया है। उस में 162 सेक्शन जो है उसके मुताबिक उनको ग्रॉथ स्टेटमेंट लेने का अधिकार नहीं है और न ही वे सिगनेचर ले

सकते हैं। अदरवाइज़ इट विल बिकम ए कनफेशन। लेकिन इस में आपने पावर दी है :

"All persons, so summoned, shall be bound to attend either in person or by an authorised agent as such officer may direct, and all persons to summoned shall be bound to state the truth upon any subject respecting which they are examined or make statements and to produce such documents and other things as may be required."

इधर चोरी होगी तो सब-इंस्पेक्टर के यहाँ रिपोर्ट जाएगी और वह इनवैस्टीगेशन करेगा और उधर दूसरी तरफ पुलिस फोर्स जो है उनके यहाँ भी इसकी इनवैस्टीगेशन होगी और उस इनवैस्टीगेशन में आप उसका कनफेशन लेंगे। इस प्रकार की डबल गवर्नमेंट आप क्यों करते हैं। पुलिस फोर्स का वहाँ का जो सब-इंस्पेक्टर है उसको कोई अधिकार नहीं होगा, ऐसा आपको लिखना चाहिये। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उस में अगर कोई कमी है, उस में अगर इसके बारे में प्राविजन नहीं है तो आप उसको एमेंड कर सकते हैं और उस कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि जितनी रेलवे फोर्स रहती है वह कुरस्ट नहीं है। आपका उस पर बहुत ज्यादा विश्वास है, ऐसा मालूम पड़ता है। मैंने इसको देखा है। उज्जैन में हमारी पेट्री चोरी चली गई। जब इसकी रेलवे पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाई गई तब वह भी चोरी करने वालों की सिफारिश कररे पर उतर आई। उन्होंने कहा कि साहब आप क्यों पकड़ते हैं तीन चार महीने आपको कपड़े मिलने में लग जायेंगे, कोर्ट में काफी हैरान होना पड़ेगा इसके वजाय आप उनको छोड़ दें, उनको चार पांच चांटे लगा दिये गये और उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद उन्होंने हमारी पेट्री हमारे सुपुर्द कर दी। आशंका होती है कि कहीं उन्होंने इस प्रकार के चोरों को खुद तो नहीं पाल रखा है।

आप कोल के बारे में कहते हैं कोल वेंगञ के बारे में कहते हैं कितनी कोल वेंगञ

आपकी मिसिंग हैं, इसको आपको जानना ही तो आप पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखें। उनके लिए कितना आपको मुआवजा देना पड़ता है इसको आप देखें। क्रोल की ही नहीं और भी कई चोरियां होती हैं रेलवे में। आपको रेलवे पुलिस और दूसरी जो पुलिस है वह बहुत बदनाम है। क्या आप इससे इन्कार कर सकते हैं। आप जो भान ग्रोथ स्टेटमेंट लेने का अधिकार दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हीशुड टैल दी ट्रुथ यह ठीक नहीं है। यह 162 सेक्शन के खिलाफ जाता है। इसके बारे में मैंने एमंडमेंट दिया है। लेकिन वह शायद डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। मैंने ग्यारह बजे उसको दिया था, मैं समझता हूँ कि जो 179 और 380 सेक्शंस हैं वे इस तरह के आफिसिस में सफिगेट हैं। उन में कुछ चाहें तो आप संशोधन कर सकते हैं। नहीं तो ये जो रक्षक आपने रखे हैं जैसे कि एक कम्प्युनिस्ट भाई ने कहा है ये भक्षक हो जाएंगे और पाटिल साहब को लोग तक्षक कहेंगे। इस प्रकार से लोग आपको न कहें, मैं समझता हूँ कि आपको न्याय से काम लेना चाहिये। जो प्राविजन आपने इनवैस्टीगेशन का रखा है यह गलत है। इसको आपको एमंड करना चाहिये। अब नहीं कर सकते हैं तो बाद में इसके बारे में आप सोचें और बाद में आप इसको करें।

इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : जहां तक इस बिल का सवाल है इस बिल के पीछे जो उद्देश्य है उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन दो एक बातें इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ। इस बिल से यह पता नहीं चलता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसको जब आप पुलिस की पावर्च देते हैं तो वह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग पुलिस विभाग के आदमी समझे जायेंगे या वे रेलवे एम्प्लायीज समझे जायेंगे, यह साफ नहीं है। जहां तक आज के कानून का सम्बन्ध है उसके मूताबिक वे रेलवे कर्मचारी हैं। एक रेलवे कर्मचारी को पुलिस

का पावर्च देना और उससे पुलिस का काम लेना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है।

श्री त्यागी : उस का नाम बदल दिया जाये।

श्री अ० प्र० शर्मा : इसलिए मेरा सुझाव है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स की रेलवे पुलिस जिस को जी० आर० पी०—गवर्नमेंट रेलवे पुलिस—कहते हैं इन दोनों को एक कर दिया जाये।

इन्वैस्टीगेशन और ऐरेस्ट करने का जो पावर रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस को दी जा रही है वह काम स्टेट गवर्नमेंट्स की पुलिस का है। इस दृष्टिकोण से भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को यह पावर है देना ठीक नहीं है।

जहां तक अनलाफुल पोबेशन आफ रेलवे प्रापर्टी का सम्बन्ध है अब तक के अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि रेलवेज के छोटे छोटे कर्मचारी काम के बाद काम करने के अपने औजार या इम्प्लीमेंट्स अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। अगर वे कभी गलती से काम के बाद उन औजारों को डिपॉजिट नहीं कर सके, तो वे उन को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। ऐसी हालत में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो लोग नीचे स्तर पर काम करते हैं, उन के बारे में हम लोगों को आये दिन शिकायतें मिलती हैं कि वे छोटी छोटी चीजों के लिए कर्मचारियों की घड़-पकड़ करते हैं, जब कि जो बड़े बड़े गुनाह करने वाले, गलती करने वाले और रेलवे का माल इत्र-उघर करने वाले लोग हैं, वे कानून के किसी दाव-पेंच से निकल जाते हैं।

इस बिल में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में यह रीजनेबल सस्पिशन होगा कि उस के कब्जे में रेलवे का चोरी किया हुआ या गैर-कानूनी वंग से प्राप्त किया हुआ माल है, तो उस को सजा दी जायेगी। प्र. न यह है कि रीजनेबल सस्पिशन का फ़ैसला कौन करेगा। अगर रीजनेबल सस्पिशन का फ़ैसला करने का पावर और उस के साथ ही बिना किसी वारंट के ऐरेस्ट करने का

[श्री श्री प्र० शर्मा]

पावर रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस को दी जाती है, तो उस के लिए यह पावर बहुत ज्यादा हो जाता है ।

रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स का अब तक मुख्य काम रेलवे प्राप्ती की रक्षा, हिफ़ाजत, करने का रहा है । इन बिल के द्वारा रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस अलग अलग पुलिस के महकमे बन जायेंगे । आज इन दोनों के बीच में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है । अगर एक किसी को पकड़ता है, तो दूसरा उस को छोड़ देता है । अगर एक किसी पर कोई चार्ज लगाता है, तो दूसरा उस के प्रति उदासीन, डिसइन्ट्रेस्टिड हो जाता है । अगर इन दोनों को एक नहीं कर दिया जायेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को विभिन्न दिशाओं में खींचेंगे, जिस का परिणाम यह होगा कि इस समय जो रेलवे का काम सुचारु रूप से चल रहा है, उस में कठिनाई होगी ।

जैसा कि मैंने कहा है, जहां तक इस बिल के स्पिरिट का सवाल है, जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, उस का मैं समर्थन करता हूँ । लेकिन इस में जो ख़ासियां हैं, उन को दूर किया जाना चाहिए । मुझे आशा है कि रेलवे मंत्री महोदय इस में उचित सुधार करेंगे ।

Shri Shinkre (Marmagao): There is no doubt that this Bill is highly necessary, especially in the context of what is happening today, when so many political parties are indulging in acts of complete vandalism, when so much of railway property is being destroyed and a considerable part thereof is being taken to some unknown destination. But my doubt is whether this Bill is constitutionally right and proper. Because, as it is, the unlawful possession of property, whether it belongs to the railways or others, is a common offence which has already been prescribed in our penal code. The penal code talks of receiving stolen property. Receiving stolen property and possession of unlawful property practically amounts to the same. That being so, would it not amount to some sort of discrimination that only in the case of railway property

there is a different treatment given to that offence? I would respectfully submit that the Railway Ministry should examine this aspect of the matter and think in terms of amending the respective section of the Indian Penal Code and bring the unlawful possession of railway property under the common criminal law, instead of keeping it as a separate law, because there will not be any justification for keeping railway property alone on a different footing from the treatment given to similar offences in the case of other property.

The argument of Shri Nambiar that the Railway Protection Force should not be given these powers does not hold any water, to my mind, because there are several other Acts under which we have given powers to other forces. These powers must be given to the Railway Protection Force, because this is the only force that we can expect to be effective all through the length and breadth of the country, because railways have property from the northern most part to the southern tip and from the east to the west. The State police, as constituted, has so many restrictions and impediments.....

Shri Bade: India is one.

Shri Shinkre: India is one, but the impediments, restrictions and barriers that the State police have to overcome and cross are so many. So, why should there be any objection to entrusting this power to the Railway Protection Force? If you say that the Railway Protection Force is corrupt, the State police can also be equally corrupt. So, we have to see which will ensure more efficiency. I have no doubt in my mind that only by giving these powers to the Railway Protection Force we can be sure of some effective steps being taken in this connection.

But, as I said earlier, my only doubt is whether such a Bill could be enacted within the framework of our common criminal law. We know that this offence has already been mentioned and a punishment prescribed for that. I know that by clause (5) we are making this offence non-cognisable so as to take it away from the competence and jurisdiction of the common police. But whether it is proper to do so

is a matter that the Railway Ministry must examine first, because it will amount to discrimination, for the same offence is cognisable when it concerns some other person or even Government Property, other than railway property, but when it concerns railway property it is not cognisable. Whether it is proper within the framework of the common criminal law is the only point which the Railway Ministry and the Government have to examine. Otherwise, I do not see any objection to this Bill as such and, therefore, I support it.

Shri Rane (Buldana): Sir, I rise to support the Bill. I do not agree with the view which has been expressed by those Members who oppose this Bill. In my opinion, offences against railway property have gone up. The destruction of railway property is going on on a very large scale.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member will continue his speech the next day. Now Shri Prakash Vir Shastri.

14.59 hrs.
MOTION RE GOLD CONTROL

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनोर) :
उपाध्यक्ष महोदय, जब 1963 में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था, तो उस समय भी इसी प्रकार की चर्चा इस सदन में कर के मैंने सरकार से कहा था कि उसका यह कदम उचित नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है, कि जो बात उस समय मैंने प्रेस रिपोर्टरों ने कही थी, उस बात को आज सत्तारूढ़ दल भी अनुभव कर रहा है। इसे के अतिरिक्त केवल विरोधी दलों या सत्तारूढ़ दल ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यह आवाज उठ रही थी कि इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए।

सरकार ने इस बहस के प्रारम्भ होने से लगभग चौबीस दिनों पूर्व चौबिस कैरट तक के गहने बनाने का निर्णय लेकर "सुबह का भूला शाम को घर आया" की कहावत को चरितार्थ कर दिया है। यह बात समझ में नहीं आई जब इस प्रकार की घोषणा कर ही दी कि अब 22 कैरट या 24 कैरट

के आभूषण बनाए जा सकेंगे तब सरकार नाक सीधे न पकड़ कर पीछे से पकड़ने का यत्न क्यों कर रही है। जब नाचने के लिए सरकार उतरी तो फिर घूँघट निकाल कर नाचना कहां की अक्लमंदी है? मैंने इस कानून को काला कानून और हत्यारा कानून क्यों कहा इस की व्याख्या भी मैं करना चाहूँगा। मैंने इस कानून को हत्यारा इसलिए कहा कि इस कानून की वजह से देश में लगभग 250 स्वर्णकारों को आत्म-हत्या का शिकार होना पड़ा। इस काले कानून की वजह से दस हजार बच्चे जो स्कूलों और कालेजों में पढ़ते थे, उनकी शिक्षा का सिल-सिला टूट गया। इस कानून के लागू हो जाने के बाद लाखों ही परिवार इस तरह के थे जो तबाह हो गए और जिनको इधर उधर भीख मांगनी पड़ी।

15 hrs.

सरकार ने कल अगार मगर लगा कर के जो यह कैरट की छूट दी है मुझे समझ में नहीं आता है कि यह तब क्यों दी जब सारे देश में इस के ऊपर तूफान खड़ा हुआ? जब संसद् भवन के सामने आमरण अनशन प्रारम्भ हो गए, प्रति दिन पांच पांच और छः छः सौ की संख्या में गिरफ्तारी होने लगी? अब जो सरकार ने इन आन्दोलनों के बाद और इस प्रकार का तूफान उठाने के बाद यह निर्णय लिया है, क्या इस से यह समझा जाय कि सरकार हर राष्ट्रीय प्रश्न को इसी भाषा का उपयोग होने पर हल करना चाहती है? सरकार इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए इसी प्रकार आन्दोलन करने के लिए देश को प्रोत्साहन दे रही है? एक महीना पहले अगार सरकार ने यह निर्णय ले लिया होता तो क्या इस में हानि थी? सरकार ने गालियां भी खाईं और उस के बाद नाक भी रगड़ी। इन दोनों में कौन सी अक्लमंदी हुई?

मैं एक बात जो विशेष रूप से कहना चाहता हूँ वह यह कि जब इस स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्दर छूट देने की